रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक : ई/चिअ/एस–1198/2024/86 **दिनांक : 26/04/2024**

केस अधिकारी प्रभारी एवं
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य)
भीलवाड़ा

विषयः– एस0बी0सि0रि0पि0 सख्या 7537/2021 डॉ0 सविता परमार बनाम राज्य व अन्य में जवाब/पालना पेश करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एस0बी0सि0रि0पि0 सख्या 7537/2021 डॉ0 सविता परमार बनाम राज्य व अन्य के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के सम्बन्ध में तथ्यातम्क रिर्पोट प्राप्त कर सम्बन्धित राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण का जवाब प्रस्तुत कर याचिका को राज्य पक्ष में निस्तारित करवाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रकरण में संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर से प्राप्त हुआ है। जिसके द्वारा एस.बी. सिविल याचिका संख्या 7537/2021 डॉ. सविता परमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर) प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 की प्रति संलग्न कर याचिका संख्या 7493/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2021 की पालना में विलम्ब के संबंध में तथ्यात्मक विवरण भिजवाया गया है एवं साथ ही पेंशन विभाग का पक्ष भी जवाब दावें में सम्मिलित करने हेतु लिखा गया है।

इस सम्बन्ध में पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर को तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है " याची का प्रकरण कार्यालय अधीक्षक एस. डी. एम. जिला अस्पताल, बीकानेर के पत्रांक 4479 दिनांक 03.07.2019 द्वारा प्रोवीजनल पेशन रूल्स 90 के तहत प्राप्त हुआ। विभागीय प्रस्तावानुसार प्रेषित प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा अंतिम वेतन रु 31,790/– एनपीए रु 7,948/ पर पेंशन रू 19,869/– का प्रोवीजनल पीपीओ सं. 1102280 जारी किया गया। तत्पश्चात विभाग के पत्रांक 448–44 दिनांक 15.02.2024 द्वारा प्रकरण प्रोवीजनल से फाईनल हेतु प्राप्त हुआ जो इस कार्यालय के आक्षेप पत्रांक 12019 दिनांक 23.02.2024 द्वारा लौटाया गया। पुनः अपूर्ण प्रकरण प्राप्त हुआ. जिसे आक्षेप पत्रांक 68032 दिनांक 19.03.2024 द्वारा लौटाया गया। पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार यथा शीघ्र निस्तारण कर दिया जावेगा।"

अतः तथ्यातम्क रिर्पोट प्राप्त कर सम्बन्धित राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण का जवाब प्रस्तुत कर याचिका को राज्य पक्ष में निस्तारित करवाने की कार्यवाही कर निदेशालय को भी अवगत करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

कमांक : ई/चिअ/एस–1198/2024/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि :– सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर उक्त पत्र को आज ही उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) भीलवाड़ा की मैल–आई0डी0 पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6769271

Signature valid
Digitally signed by Ravi Prakash Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.04.25 16:42:31 IST
Reason: Approved

RR-402-010046

S | S

राजस्थान सरकार
कार्यालय संयुक्त निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर

न्यायिक प्रकरण

क्रमांक-संनिपेवि/विधि/391/2022-23/ 2253 दिनांक- 21-3-24

219
3/4/24

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर राज0 ।
2- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
स्वास्थ्य भवन, जयपुर राज0 ।
3- प्राचार्य एवं नियंत्रक,
एसपी मेडिकल कॉलेज एवं संबंद्ध अस्पताल, बीकनेर ।
4- अधीक्षक, एस.डी.एम. राजकीय सैटेलाईट अस्पताल,
बीकानेर ।

विषय :- माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 833/2024 डॉ0 सविता परमार बनाम राज0 राज्य एवं अन्य ।
प्रसंग :- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज0 जयपुर के पत्रांक प.8(2)1078/निपेवि/विधि/2024/9739-जे दिनांक 27.02.2024 के क्रम में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रकरण में मुख्य पक्षकार आपका विभाग है एवं समस्त बिन्दु भी आपके विभाग से ही संबंधित है । प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा समस्त पक्षकारों की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष समुचित कार्यवाही हेतु लिखा गया था एवं इस कार्यालय के तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु निदेशित किया गया है । तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है – 'याची का प्रकरण कार्यालय अधीक्षक, एस.डी.एम. जिला अस्पताल, बीकानेर के पत्रांक 4479 दिनांक 03.07.2019 द्वारा प्रोवीजनल पेंशन रूल्स 90 के तहत प्राप्त हुआ । विभागीय प्रस्तावानुसार प्रेषित प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा अंतिम वेतन रू. 31,790/- एनपीए रू. 7,948/- पर पेंशन रू. 19,869/- का प्रोवीजनल पीपीओ सं. 1102280 जारी किया गया । तत्पश्चात विभाग के पत्रांक 448-44 दिनांक 15.02.2024 द्वारा प्रकरण प्रोवीजनल से फाईनल हेतु प्राप्त हुआ जो इस कार्यालय के आक्षेप पत्रांक 12019 दिनांक 23.02.2024 द्वारा लौटाया गया । पुनः अपूर्ण प्रकरण प्राप्त हुआ, जिसे आक्षेप पत्रांक 68032 दिनांक 19.03.2024 द्वारा लौटाया गया ।' पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जावेगा ।'

निवेदन है कि आपके विभाग के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र F.12(2)Raj/Vad/19 दिनांक 10.10.2019 के आदेशानुसार राजस्थान सरकार के सभी पक्षों की तरफ से एक ही जवाब-दावा प्रस्तुत किया जाना है, अतः पेंशन विभाग का पक्ष भी जवाब-दावे में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें ।

साथ ही निवेदन है कि प्रकरण में नियुक्त प्रभारी अधिकारी के नाम व मोबाईल नम्बर से सूचित करावें एवं जवाब-दावे की प्रति इस कार्यालय को भिजवाते हुए प्रकरण की नवीनतम वस्तुस्थिति से समय-समय पर इस कार्यालय को सूचित करवाने का श्रम करावें ।

भवदीय,

(डॉ. ज्योति बाला व्यास)
संयुक्त निदेशक

क्रमशः......2/-